

क्रमांक .प.1(22)वि.मा/2021

दिनांक:- 28.09.2021


विषय-केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति, उपयोग एवं नियंत्रण हेतु योजना का Single Nodal Account (SNA) खोले जाने हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भ- इस विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.08.2021 के क्रम में।

वित्त मंत्रालय. (व्यय विभाग) भारत सरकार द्वारा जारी पूर्व ऑफिस मेमोरेण्डम F1(13)PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत निधियों की प्राप्ति, उपयोग एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में उल्लेखित नवीन प्रक्रिया में भारत सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 23.09.2021 के द्वारा निम्नानुसार शिथिलन प्रदान किया गया है:-

“The Competent Authority has granted exemption to the Centrally Sponsored Schemes being implemented on reimbursement basis from the new procedure dated 23rd March, 2021. However, the exemption will not be applicable if the funds for such schemes under CSS are being released in advance. In such cases, the new procedure would continue to apply.”

तदनुसार विभाग आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। पूर्व जारी संदर्भित परिपत्र की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग)
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (EAD) विभाग
4. उपशासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।

निरन्तर.....

6. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, शासन सचिवालय सचिवालय,
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, IFMS वित्त भवन, जयपुर
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी. PFMS राज्य निदेशालय, विद्याधर नगर जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


(सुनील सोनी)
संयुक्त शासन सचिव